



# HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 07.12.2022

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर  
कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध  
माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के  
फलस्वरूप, दिनांक 19/01/2019 को थाना कुरारा  
जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 12/19 धारा- 364  
आईपीसी में नामजद अभियुक्त शिवपाल अहिरवार पुत्र  
दयाराम निवासी परसन थाना आटा जनपद जालौन  
को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के  
विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों  
का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम  
स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए  
माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम 07 वर्ष के कठोर  
कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई  
गयी।